

आयलय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

बनाम सोडू सोमवी

नं. 42 सन् 2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

दशम शक्ति का वादी द्वारा अन्ध अन्धता
शक्ति विरुद्ध प्रत्येक पक्ष के लिये न्याय कर
ना गया है अतः शक्ति द्वारा अन्धता विरुद्ध
न्याय न्याय के अन्तर्गत आया है
जो 12/03 दिनांक 05/05/2015 के
द्वारा देखा है।

अतः प्रत्येक को course of action
न्याय दे दिया है वादी द्वारा प्रत्येक पक्ष
का शरीर दिया जाता है।

पतावनी के शक्ति के अन्तर्गत
अन्ध अन्धता है।
निर्णय करें - अन्धता प्रमाणित

[Handwritten signature]

मील
मा!
नी
रु है